भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 404

08 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

ठोस अपशिष्ट का निपटान

404. डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. हिना विजयकुमार गावित:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
डॉ. सुजय विखे पाटिल:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट के शत-प्रतिशत वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निपटान का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ख) क्या इस संबंध में भविष्य के लिए कोई रोडमैप तैयार किया जा रहा है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय शहरों और कस्बों में प्रति दिन उत्पन्न होने वाला नगरपालिका का कई टन अपशिष्ट (कचरा) लैंडफिल साइटों या डंपिंग यार्डों में अनुपचारित ही जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा नगरपालिका के अपशिष्ट के उचित निपटान के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं और इस मुद्दे के समाधान हेतु राज्य सरकारों को क्या सहायता और तकनीकी जानकारी प्रदान की जाएगी?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के तहत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) का 100% प्रबंधन करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को निम्नलिखित के लिए वित्तपोषण दिया जाता है:

(i) अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे सामग्री रिकवरी सुविधा (एमआरएफ), ट्रांसफर स्टेशन, खाद संयंत्र, बायो-मेथेनेशन संयंत्र, रिफ्युज्ड डिराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) प्रसंस्करण सुविधाओं,

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं, वेस्ट टू इलैक्ट्रिसिटी, सैनिट्री लैंडफिल इत्यादि की स्थापना।

(ii) साफ-सफाई के लिए मशीनीकृत उपकरण की खरीददारी और निर्माण और डिमोलिशन (सीएंडडी) अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करना।

(iii) सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में सभी पुराने कचरा स्थलों का जैव-उपचार|

(ग) और (घ): देश में कुल नगरपालिका ठोस अपशिष्ट निर्माण और प्रसंस्करण की स्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है:

प्रति दिन कुल अपशिष्ट निर्माण (मैट्रिक टन में)	प्रति दिन कुल अपशिष्ट प्रसंस्करण (मैट्रिक टन में)
1,51,745	1,12,291.3 (74%)

(ङ): एमएसडब्ल्यू के प्रबंधन के लिए केंद्रीय सहायता के अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कई परामर्शिकाएं जारी की हैं जिसमें संग्रहण और परिवहन से लैंडफिल रिक्लेमेशन तक एमएसडब्ल्यू प्रबंधन के सभी घटक शामिल हैं| एमएसडब्ल्यू के प्रबंधन की निगरानी स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा दी गई गारबेज फ्री सिटी (जीएफसी) स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल, वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण और नियमित क्षेत्रीय दौरों और बातचीत के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण (सीबी) और सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के लिए निधियां और सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

*****